21.3.24 अंकित वादी प्रार्थी वकील ... उपस्थित/अनुपस्थित/प्रतिवादी ... अंकित है ... बेर पधारे हैं) ... दिनांक ... को पेश हो 15/5/24

15.5.24 आज यह पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित तह आदेशानुसार तलबी कराया जाना नहीं पाया जाता अतः अवसर प्रदान ले पेश हो पत्रावली दिनांक 5.7.24 को पेश हो

24.5.24 आज यह पत्रावली (प्रार्थना पत्र तलब पत्रावली) पेश हुई। प्रतिवादी गण की ओर वकालतनामा श्री महेश मीणा एड. द्वारा पेश किया गया है तथा पक्षकारान की ओर से राजीनामा पेश किया गया। प्रार्थना पत्र पत्रावली तलबी पेश आने पर पेश हुई उभय पक्षकारान द्वारा राजीनामा पेश किया गया उभय पक्ष के तस्दीक करवाये गए पत्रावली बाबत अग्रिम कार्यवाही दिनांक 29.5.24 को पेश हो

तलबाना
[illegible]
डाकाटिकिट
वकालतनामा
24-5-24

29.05.24 आज यह पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उपस्थित। हमने पत्रावली एवं फलके प्रस्तुत राजीनामा का अवलोकन किया गया दावा वादी राजीनामा के आधार पर डिक्री किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नकल के काम हो बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

उप[illegible]री
[illegible]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :— सचिन यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण सख्याः 147/23 दायर दिनांकः 08.11.23
जीसीएमएस नं. 2023/352

1. दीवानसिंह
2. वरूणसिंह पुत्रान प्रहलाद सिंह जाति गुर्जर नि. आंजनहेड़ा, तह. भुसावर (भरतपुर) राज.

—वादीगण

बनाम

1. लज्जाराम दत्तक पुत्र रामजीलाल जाति ब्राह्मण नि. बरवटपुरा मजरा गौगेरा, तह. भुसावर (भरतपुर) राज.
2. राज. सरकार जरिये तहसीलदार भुसावर, जिला भरतपुर राज.

—प्रतिवादीगण

दावा विभाजन व हुक्म इम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 53 व 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

अधिवक्ता— 1.श्री छोटेलाल मीना —वादीगण
2.महेश मीना —प्रति.एक

निर्णय दिनांक 29.05.2024

वादीगण द्वारा यह दावा अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर.टी.ए. के तहत पेश किया। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आ.ख.नं. 643 रकबा 0.59 है. वाके ग्राम गौगेरा तह. भुसावर में स्थित है, जिसमें वादी संख्या एक 1/4 हिस्से का, वादी सं. दो 1/4 हिस्से का व प्रतिवादी सं. एक 1/2 हिस्से के काविज काश्तकार एवं खातेदार हैं। तथा इसी प्रकार से मौके पर काविज रहकर शांति पूर्वक काश्त करते हुए राज लगान राज्य सरकार को अदा करते चले आ रहे हैं।

आ.ख.नं. 643 रकबा 0.59 है. के संपूर्ण हिस्सा को प्रतिवादी सं. एक ने वादीगण के लिए बैचान का सौदा तय कर दिया था, संपूर्ण हिस्सा का विक्रय पत्र रजिस्टर्ड कराने के लिए स्टाम्प भी वादीगण ने प्रतिवादी सं. एक के नाम से खरीद करवा लिये थे। लेकिन प्रतिवादी सं. एक ने जानबूझकर उक्त आराजी का संपूर्ण भाग का विक्रय पत्र वादीगण के हक में तहरीर व तस्दीक नहीं कराया। बाद में प्रतिष्ठित लोगों के द्वारा प्रतिवादी सं. एक को समझाने पर आराजी का 1/2 हिस्सा की आराजी को वादीगण के लिए विक्रय करने के लिए राजी हुआ। इस प्रकार उक्त आराजी वादीगण ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 06.09.2023 को प्रतिवादी सं. एक से खरीद किया था, और प्रतिवादी सं. एक ने खरीद के वक्त ही वादग्रस्त आराजी में तरफ पूर्व की ओर 1/2 हिस्से का कब्जा वादीगण को दिया था, और तभी से वादीगण आराजी पर काविज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं। उक्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादी सं. एक की संयुक्त खातेदारी व काश्तकारी की अविभाजित आराजी है। परन्तु मौके पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने खरीद के वक्त ही आराजी पर बाहमी मनवट के तौर पर विभाजन कर लिया था। और उसी विभाजन अनुसार वादीगण अपने हिस्सा 1/2 तरफ पूर्व दिशा पर काविज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं। लेकिन प्रतिवादी सं. एक बहुत ही चतुर एवं चालाक किस्म का व्यक्ति है, जो बाहमी मनवट के विभाजन को नहीं मानते हुए वादीगण को शांति पूर्वक नहीं करने दे रहा है। और अब अच्छी–2 व मौके की आराजी को अपने कब्जे में लेकर वादीगण को अच्छी आराजी से बेदखल कर महरूम करते हुए आराजी को दीगर व्यक्तियों के लिए रहन, वय व मुन्तकिल करने के लिए आमादा है। और वादीगण के आराजी को जोतने बोने भी आये दिन व्यवधान पैदा करता रहता है। जबकि प्रतिवादी सं. एक को बिना विभाजन आराजी में से अच्छी–2 आराजी को अपने कब्जे में लेते हुए रहन, वय व मुन्तकिल करने का व वादीगण के जोतने, बोने में रूकावट पैदा करने का कोई भी कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं।

दिनांक 06.11.2023 को वादीगण ने प्रतिवादी सं. एक से वादग्रस्त आराजी का कानूनी विभाजन कराने के लिए कहा, तो प्रतिवादी सं. एक ने विभाजन से इंकारी करते हुए धमकी दी कि अब मैं इस आराजी में से अच्छी–2 व मौके की आराजी को अपने कब्जे में लेकर तुम्हें अच्छी आराजी

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)

से बेदखल कर महरूम कर दूँगा, और तुम्हें आराजी पर काश्त नहीं करने दूँगा, और तुम्हें आराजी को जोतने बोने भी नहीं दूँगा। अतः वादीगण वादग्रस्त आराजी का कानूनी विभाजन प्रतिवादी सं. एक के मध्य बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड करा पाने का अधिकारी है।

प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया है कि कानूनी विभाजन किया जावे। प्रतिवादी सं. एक को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द किया जावे।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा की गई नोटिस ताईद में अप्रार्थी की ओर से वकालतनामा श्री महेश मीना एड. द्वारा पेश किया गया तथा प्रार्थीगण अधिवक्ता की ओर से प्रा. पत्र तलब पत्रावली पेश की गई तथा उभयपक्षकारान की ओर से राजीनामा पेश किया गया।

राजीनामा में वादीगण की पहचान श्री छोटेलाल मीना एड. द्वारा एवं प्रतिवादी की पहचान श्री महेश मीना एड. द्वारा की गई।

हमने बहस उभयपक्षकारान की सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया तथा प्रस्तुत राजीनामा का भली–भाँति अध्ययन किया गया।

अतः राजीनामा के आधार पर हम दावा वादी स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

अतः दावा वादी राजीनामा के आधार पर स्वीकार किया जाता है। राजीनामा के आधार पर आराजी ख.नं. 643 रकबा 0.59 है. वाके ग्राम गौगेरा तह. भुसावर का विभाजन करने बाबत तहसीलदार भुसावर को आदेशित किया जाता है। वर विनाय राजीनामा वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है। राजीनामा डिक्री जुज रहेगा। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29.05.2024 को लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(सचिन यादव)
उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)

मूलवाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 नियम, 6–7 जाब्ता दीवानी)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :— सचिन यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण सख्याः 147/23 दायर दिनांकः 08.11.23
जीसीएमएस नं. 2023/352

1. दीवानसिंह पुत्र प्रहलाद सिंह जाति गुर्जर नि. आंजनहेड़ा, तह. भुसावर (भरतपुर) राज.
2. वरूणसिंह पुत्र प्रहलाद सिंह जाति गुर्जर नि. आंजनहेड़ा, तह. भुसावर (भरतपुर) राज.

—वादीगण

बनाम

1. लज्जाराम दत्तक पुत्र रामजीलाल जाति ब्राह्मण नि. बरवटपुरा मजरा गौगेरा, तह. भुसावर (भरतपुर) राज.
2. राज. सरकार जरिये तहसीलदार भुसावर, जिला भरतपुर राज.

—प्रतिवादीगण

दावा विभाजन व हुक्म इम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 53 व 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

अधिवक्ता— 1.श्री छोटेलाल मीना —वादीगण
2.श्री महेश मीना —प्रति.एक

डिक्री 29.05.2024

वाद वादी दीवानसिंह वगै. बनाम लज्जाराम वगै. में वाद पत्र बाबत् दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की विनिर्दिष्ट अनुपालना हेतु दावा वादी स्वीकार किया जाता है अतः राजीनामा के आधार पर हम दावा वादी स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

अतः दावा वादी राजीनामा के आधार पर स्वीकार किया जाता है। राजीनामा के आधार पर आराजी ख.नं. 643 रकबा 0.59 है. वाके ग्राम गौगेरा, तह. भुसावर का विभाजन करने बाबत तहसीलदार भुसावर को आदेशित किया जाता है। वर विनाय राजीनामा वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है। राजीनामा डिक्री जुज रहेगा।

(सचिन यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
भुसावर (भरतपुर)